न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 11/2014 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2014/00035

अनवान

1. श्री लाला पिता वालजी मीणा, निवासी लाम्बा पानवा, प.म. कारछा, तहसील खेरवाड़ा।

– प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जगमाल पिता देहरा मीणा, निवासी लाम्बा पानवा, प.म. कारछा, तहसील खेरवाड़ा।
2. श्रीमती अमरी पत्नि जगमाल मीणा, निवासी लाम्बा पानवा, तहसील खेरवाड़ा।
3. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री एम.एल. दशोरा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 12-05-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का मौजा लाम्बा पानवा मे बिलानाम कृषि आराजी संख्या 148 एवं 991/144 रकबा क्रमशः 0.09हे. एवं 0.30हे. पर विगत 40 वर्षो से कब्जा है एवं इस कब्जेशुदा भूमि पर उसके द्वारा चारो ओर थुअर की बाड़ बनाई जाकर उस पर अपना मकान बनाकर परिवार सहित निवास करता हैं एवं प्रार्थी द्वारा गत 40 वर्षो मे इस भूमि पर काफी लागत लगाकर इस भूमि को काबिल काश्त बनाया हैं। m D उक्त आराजीयात का विपक्षीगण को विशेष राजस्व अभियान 2006 के दौरान मिसल संख्या 187/2006 से सलाहकार समिति की राय पर दिनांक 03.01.2006 को गैर खातेदारी हक से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन कर दिया गया । विपक्षीगण के पक्ष मे किय गया उक्त आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होकर भू राजस्व नियमों के विपरित किया गया हैं। पत्रावली संख्या 187/2006 के कार्यवाही विवरण के अनुसार दिनांक 03.01.2006 की आदेशिका से आवंटी को विधिवत कब्जा सुपुर्द कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाने व कब्जा सुपुर्दगी की रिपोर्ट प्राप्ति होने पर पत्रावली पेश करने के आदेश है, परन्तु उक्त आदेशिका पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी अवस्था मे यह आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिये गये यह स्पष्ट नहीं हैं एवं जब हस्ताक्षर ही नहीं है तो इस आदेश की पालना मे कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही किस

आदेश के अनुसार की गई। इस प्रकार का कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही भी विधि विपरित की गई हैं। इसी प्रकार 09.10.2006 की आदेशिका पर भी किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नही हैं। इस प्रकार बिना आदेश की पालना कर आवंटन आदेश तैयार कर राजस्व रेकर्ड मे विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी मे अंकन भी विधि विरूद्ध किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे उनके द्वारा अपने नाम ग्राम लाम्बा पानवा मे केवल 0.47हे. कृषि भूमि होना अंकन किया है। इसके अलावा किसी ग्राम मे कोई आराजी उनके अथवा उनके परिवार के लोगो के नाम नहीं होने का मिथ्या अंकन किया है। विपक्षीगण भूमिहीन व्यक्ति नही हैं एवं पर्याप्त भूमि होने के तथ्य को छिपाकर उनके द्वारा आवंटन कराया गया है, जो निरस्त होने योग्य हैं। आवंटन के पश्चात् भूमि का कब्जा सुपुर्दगी का पर्चा मौके पर ही बना दिया गया हैं। उपरोक्त दोनो कृषि आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा होना 40 वर्षो से होना ग्राम पंचायत कारछा के सरपंच की तस्दीक से प्रकट होता हैं। आवेदन पत्र किसी अधिकारी के समक्ष किस दिनांक को प्रस्तुत हुआ है, उपरोक्त कोई पृष्ठांकन इस आदेश पत्र पर नहीं हैं। जांच रिपोर्ट मे पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट भी अपूर्ण हैं। आवंटन इस शर्त संख्या 6 के अनुसार आवंटी की तीन से अधिक सतांन है तो भूमि का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। आवंटी जगमाल के 5 पुत्रिया एवं एक पुत्र है। इस कारण आवंटी का आवंटन निरस्त होने येाग्य हैं। विपक्षीगण ने विधि विरूद्ध रूप से उक्त आवंटन अपने नाम पर कराया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के नाम पर किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.01.2006 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 गांव लाम्बा पानवा के निवासी होकर कथित भूमि भी गांव लाम्बा पानवा मे स्थित हैं। गांव लाम्बा पानवा मे कृषि आराजीयात बिलानाम सरकार जिसके आराजी संख्या 148 एवं 991/144 रकबा क्रमशः 0.09हे. एवं 0.30हे. पर प्रार्थी का एक भी दिन कब्जा नहीं रहा है एवं प्रार्थी के कब्जेशदा भूमि केवल प्रार्थी के खातेदारी की है। विपक्षी संख्या 1 व 2 की जमीन से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी का विपक्षी की जमीन के किसी भाग पर कब्जा नहीं हैं। प्रार्थी को कथित प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को आवंटित उक्त भूमि पर कोई लागत नही लगायी गई हैं। कथित भूमि का विपक्षी ही उपयोग एवं उपभोग कर रहा हैं। समय समय पर विवादित भूमि के विपक्षी को धारा 91 की कार्यवाही के नोटिस भी मिले हैं। उक्त दोनो आराजीयात को आवन्टन सलाहकार समिति की राय से विपक्षीगण को विशेष राजस्व अभियान के दौरान नियमानुसार आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन दिनांक 03.01.2006 को किया गया है एवं उसकी पालना मे विपक्षी संख्या 1 व 2 को पटवारी हल्का द्वारा मौतबिरान के समक्ष कब्जा सुपुर्द किया गया हैं। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी मे आता है। कथित भूमि के इंच मात्र भाग पर प्रार्थी का कब्जा नहीं हैं। प्रार्थी का मकान विपक्षी की जमीन पर बना न होकर उसकी स्वयं की जमीन पर बना हुआ हैं। विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णतया पालना की गई हैं। विपक्षीगण को किये गये आवंटन

की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से थी, किन्तु उसके द्वारा जानबुझकर 8 वर्षो के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

तहसीलदार से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण मे मौका रिपोर्ट दिनांक 08.03.2016 मे स्पष्ट किया कि मोजा लाम्बा पानवा मे स्थित आराजी संख्या 148 रकबा 0.09हे., 991/144 रकबा 0.30हे. कुल किता 2 रकबा 0.39हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः श्री जगमाल पिता देहरा, अमरी पत्नि जगमाल के नाम गैर खातेदार हक से दर्ज रेकर्ड हो मौके पर जगमाल पिता देहरा का कब्जा हैं। इसी ग्राम की आराजी संख्या 145 का विवाद प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य है, जो राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी जगमाल पिता देहरा के खाते है एवं मौके पर प्रार्थी लाला पिता वालजी का कब्जा हैं। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी से आवंटन पत्रावली मंगवाई जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस के दौरान उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने उपखंड अधिकारी झाड़ोल से प्राप्त आवंटन पत्रावली, धारा 91 के नोटिस, तहसीलदार की रिपोर्ट मे वर्णित बिंदुओ एवं तथ्यो का गंभीरता से अध्ययन किया एवं जमाबंदी की नकल का अवलोकन किया।

आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मौजा लाम्बा पानवा, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 144 रकबा 0.30हे एवं 148 रकबा 0.09हे. भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को मौजा लाम्बा पानवा, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 144 रकबा 0.30हे एवं 148 रकबा 0.09हे. भूमि का दिनांक 03.01.2006 को आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर प्रभारी अधिकारी (टी.एस.पी. विशेष राजस्व अभियान–2006), तहसीलदार, विकास अधिकारी, मनोनित सदस्य एस.सी.एस.टी. खेरवाड़ा एवं सरंपच के हस्ताक्षर आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। नकल वर्तमान जमाबंदी से यह ज्ञात होता है कि मौजा लाम्बा तहसील खेरवाड़ा की आराजी संख्या 148 रकबा 0.09हे., 991/144 रकबा 0.30हे. कुल किता 2 रकबा 0.39हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम गैर खातेदार हक से दर्ज हैं। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त भूमि पर विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का कब्जा उक्त भूमि पर होता तेा उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। इसके विपरित विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के वर्ष 2002, 2004 के नोटिस भी प्रस्तुत किये हैं। तहसीलदार से प्राप्त मौके की रिपोर्ट मे भी उक्त दोनो आराजीयात पर विपक्षीगण का कब्जा होना जाहिर आया

है। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट मे मौके पर विवाद आराजी संख्या 145 को होना बताया गया है एवं आराजी संख्या 145 का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं हैं। प्रार्थी का कथन है कि आदेशिका पर अधिकारी के हस्ताक्षर नही हैं। पत्रावली के अवलोकन पर यह ध्यान मे आता है कि आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं हैं, किन्तु समस्त आदेशों पर आवंटनकर्ता के हस्ताक्षर मौजुद है एवं कोरम भी पूर्ण हैं। ऐसी स्थिति मे नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा मौजा लाम्बा पानवा, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 144 रकबा 0.30हे एवं 148 रकबा 0.09हे. भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.01.2006 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर